

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्र. एफ 16 (16)(5) परि/लेखा/राजस्व/ई-ग्रास/2019-20/ जयपुर, दिनांक: 27-3-24
5722

संशोधित परिपत्र

विभागीय परिपत्र क्रमांक 3402 दिनांक 01.03.2024 के बिन्दु सं. F में आंशिक संशोधन कर निर्देशित किया जाता है कि माह मार्च, 2024 में बकाया राजस्व शत प्रतिशत अर्जित करने के उद्देश्य से राजकीय अवकाश के दिनों में कर संग्रहण के साथ-साथ अन्य सभी राजकीय कार्य एवं उनसे सम्बन्धित राजस्व अर्जन किया जाना सुनिश्चित करें।

ड्राइविंग टेस्ट के जिन Online आवेदनों में Appointment slot अप्रैल माह में Schedule हुआ होगा उनमें स्मार्ट कार्ड की फीस का भुगतान किया जा चुका होगा। ऐसे आवेदनों का निस्तारण मार्च माह में ही करने हेतु दिनांक 28 व 29, 30 व 31 मार्च (राजकीय अवकाश) को कार्यालयों में on the spot appointment reschedule किये जाने की भी सुविधा प्रदान की जाए जिससे इन आवेदनों में स्मार्ट कार्ड फीस के रिफंड की आवश्यकता नहीं रहे। इस हेतु आमजन में पर्याप्त प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करें।

उक्त निर्देशों की पालना करना सुनिश्चित करें।

Abet
(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
आयुक्त, परिवहन
एवं सड़क सुरक्षा

5723 -

क्र. एफ 16 (16)(5) परि/लेखा/राजस्व/ई-ग्रास/2019-20/ जयपुर, दिनांक: 27-3-24
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राज. सरकार।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
4. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), परिवहन विभाग, जयपुर।
5. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
6. सिस्टम एनालिस्ट, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही करावें।
7. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।

Abet
उप वित्तीय सहायक
27-3-24